

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० ३५८/८० अ० वि०

दिनांक २५.११.८०


गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति के बल ३० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत से ...
किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इसे ...
स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा एवं के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई असर पड़ेगा
अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकता या स्वामित्व के अधिकारी के विराट कोई प्रभाव न रखेगी।

~~क्री. निर्मित गृह के लिए निर्माण अधिकारी का नाम श्री अराजी सच्चया ३५/८० वि० विकास अधिकारण
पिता/पति का नाम श्री अराजी सच्चया ३५/८० वि० विकास अधिकारण
वाई. निर्माण अधिकारी का नाम श्री अराजी सच्चया ३५/८० वि० विकास अधिकारण
यित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाए।~~

मुहर

दिनांक २०



मंत्र अभियान (भवन)
विकास अधिकारण
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : १- यह स्वीकृति पत्र के बल ५ वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपायक द्वारा उसे निरवाया जा सकता है अथवा ऐसे स्थल में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुदाय समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपायक की अनुमति प्राप्त किये निर्माण अथवा पुनः निर्माण होगा तो उसके निर्माणकर्ता को टण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवधामय इमारत को उपायक द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से दसूल किया जायेगा।

२. इस अनुमति पत्र में सङ्केत, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झोप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति दी जाए है उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा २३३ के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

३. मकान निर्माण से यदि नाली सङ्केत की पटरी अथवा सङ्केत या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, मैं कर देना होगा।

४. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विधुत अधिनियम १९७३ (अधिनियम १९७० के लिए विस्तीर्णी रूप के नियम १९७०) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपायक की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

५. प्रार्थी को नियमानुसार उपायक को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् १५ दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

६. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नज़ूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उम्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैद्य न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

७. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैद्य अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विवेश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।